

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान
कलियासोत बांध के पास, कोलार रोड
भोपाल

क. वाल्मी / 03 / टी.एस / 2018-18 /

भोपाल दिनांक / 2 / 2019

आदेश

म.प्र. शासन वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2010 में निहित प्रावधानों अनुसार संस्थान के निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 10 एवं 20 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक	प्रथम समयमान कीदेयता तिथि	प्रथम समयमान वेतनमान	द्वितीय समयमान कीदेयता तिथि	द्वितीय समयमान वेतनमान
1	श्री मोहन लाल लुडेले	सफाई कर्मी	31.8.1996	31.8.2008	4440-7440 + ग्रे.पे. 1400	31.8.2016	5200-20200 + ग्रे.पे. 1800

1. समयमान वेतन स्वीकृति पश्चात वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि भविष्य में इसी वेतनमान में पदोन्नति की जाती है तो उसके उपरांत वेतन निर्धारण ऐसा मानते हुये किया जायेगा जैसे कि संबंधित कर्मचारी पूर्व के वेतनमान में ही चला आ रहा है तथा उसे समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिला है।
2. समयमान वेतन के फलस्वरूप कर्मचारी के पदनाम में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
3. उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि कोई वसूली की स्थिति हो तो पहले वसूली की जायेगी।
4. म.प्र. शासन वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2010 में निहित प्रावधान यथा स्थिति लागू होंगे।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी भोपाल

क. वाल्मी / 03 / टी.एस / 2018-18 / 754
प्रतिलिपि:

भोपाल दिनांक 12/2/2019

1. श्री मोहनलाल लुडेले, सफाई कर्मी की ओर सूचनार्थ।
2. लेखाशखा, वाल्मी भोपाल।
3. स्थापना शाखा (व्यक्तिगत नस्ती) वाल्मी भोपाल।
4. वेबसाइट समिति, वाल्मी भोपाल।
5. गार्ड नस्ती।
6. निज सहायक (संचालक कक्ष) वाल्मी भोपाल।

प्रशासकीय अधिकारी
वाल्मी भोपाल